भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 806
दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

विवाह हेतु न्यूनतम आयु

806. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का विचार विवाह हेतु लड़कियों की न्यूनतम आयु में संशोधन करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विवाह की आयु बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर महिलाओं को होने वाले लाभों के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : सरकार ने (i) गर्भावस्था के दौरान, जन्म और उसके बाद माता और नवजात शिशु/बच्चे के स्वास्थ्य, चिकित्सा कल्याण और पोषण स्तर, (ii) शिशु मृत्युदर(आईएमआर), मातृ मृत्युदर(एमएमआर), कुल प्रजनन दर(टीएफआर), जन्म पर लिंग अनुपात(एसआरबी), बाल लिंग अनुपात(सीएसआर) आदि मुख्य मानकों और (iii) इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य प्रासंगिक बिंदुओं के संबंध में विवाह और मातृत्व की आयु के सह-संबंध की जांच करने के लिए दिनांक 04 जून, 2020 की अधिसूचना द्वारा एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल ने बाल विवाह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव सहित विवाह और मातृत्व की आयु के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया।

*****